



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222545
CG-DL-E-19102020-222545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3245]
No. 3245]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

[आयकर]

का.आ. 3660 (अ).— केंद्रीय सरकार, आयकर नियम, 1962 के नियम 10गक के उपनियम (1) के परंतु के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 92ग की उपधारा (2) के तीसरे परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 92ग के अधीन निश्चित आर्म्स लेन्थ मूल्य और वह मूल्य जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन वास्तविक रूप से हुआ है, के बीच अंतर थोक व्यापार के लिए परवर्ती के एक प्रतिशत अन्य सभी मामलों में तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होता है उस स्थिति में वह मूल्य जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन वास्तविक रूप से हुआ है, को कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 के लिए आर्म्स लेन्थ मूल्य समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 'थोक व्यापार' का अर्थ माल के उस अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन से है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :-

- तैयार माल खरीद की लागत ऐसे व्यापार की गतिविधियों से संबंधित मूल लागत का अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक हो; और

- (ii) ऐसे माल की औसत मासिक अंतिम माल सूची ऐसी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित बिक्री का दस प्रतिशत या उससे कम हो।

[अधिसूचना सं. 83/2020/फा. सं. 500/1/2014-एपीए-II]

रुचिका शर्मा, अवर सचिव